न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 17 / 2026	2026 / 37	04.03.2026	30.03.2026

1. संतराम पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
2. निरंजन पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
3. बासुदेव पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
4. सुरेश पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. गोविन्द शरण पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी, कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—असल अप्रार्थीगण

3. केशर पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी खेडा कल्याणपुर हाल वासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. भगवती पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामखिलाडी जाति ब्राहमण निवासी खेडाकल्याणपुर हाल वासी नाटौज तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. प्यारो पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामचन्द जाति ब्राहमण निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर हाल वासी नाटौज तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. शकुन्तला पुत्री रामस्वरूप पत्नी सत्यभान जाति ब्राहमण निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर हाल वासी अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
7. निर्मला पुत्री रामकिशोर पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर हाल वासी खेरलीखुर्द तह० मण्डावर जिला दौसा।
8. कमला पुत्री रामकिशोर पत्नी जगदीश जाति ब्राहमण निवासी खेडाकल्याणपुर तहसील कठूमर हाल वासी खेरलीखुर्द तह० मण्डावर जिला दौसा।
9. केशरीनन्दन पुत्र सोहनलाल नवासा रामकिशोर जाति ब्राहमण हाल वासी झारोटी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
10. पवन पुत्र सोहनलाल नवासा रामकिशोर जाति ब्राहमण हालवासी झारोटी तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
11. उप पंजीयक भनोखर, तहसील कठूमर जिला अलवर।
12. तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—

01— श्री हरिओम —वकील प्रार्थीगण

02— श्री गणपत सिंह नरूका —वकील अप्रार्थीगण सं. 1

02—श्री दीपक मीना, राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी सं. 2, 11, 12

—:निर्णयः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर में लंबित / विचाराधीन प्रकरण बउनवान गोविंद शरण बनाम संतराम व अन्य प्रकरण सं. 01 / 143 / 25 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर से विन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहरा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुकदमा बअनुवान गोविन्द शरण वादी (बनाम) संतराम एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/143/25 अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकरीम व हुक्म इम्तनाई दवामी विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान हैं, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06–03–2026 नियत हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही हैं। जिसकी पुष्टि उक्त अदालत की आदेशिका से होती हैं।

उक्त प्रकरण में असल अनार्थी संख्या 1 ने प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहत अदालत में पेश किया गया हैं। जिस प्रार्थनापत्र में दोनो पक्षो के जबरन बयान लिये गये हैं, तथा प्रार्थीगण द्वारा तहत अदालत में मूल दावा में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने की सहमति दी हुई हैं। लेकिन तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर सारे कायदे कानून ताक पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण कर उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर विवादित आराजी पर रिसीवर कायम करने को उतारू हैं। तथा असल अप्रार्थी संख्या 1 आनन फानन में मुकदमें में कार्यवाही कराना चाहता हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा असल अप्रार्थी संख्या 1 की सुविधानुसार उसके व उसके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती हैं, तथा हम प्रार्थीगण के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही की जाती हैं। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 1 बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाऐं व प्रार्थीगण के वकील साहब की बहस सुने बिना ही उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने को उतारू हैं।

तहत अदालत के पीवासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 1 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरण की पत्रावलीयों से अलग रखी जाती हैं। असल अप्रार्थी संख्या 1 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 पर दबाव बनाया हुआ हैं। तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 उसके दबाव व प्रभाव में हैं। उक्त प्रकरण में विगत पेशी को तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भरी अदालत में हम प्रार्थीगण व हमारे वकील साहब से ऐलानिया तौर पर कहा हैं, कि " प्रकरण में तुम्हारा कोई लेना देना नही हैं, जल्द से जल्द बहस करों, अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप सें प्रकरण का निस्तारण कर विवादित आराजी पर रिसीवर कायम कर दूँगा।

तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व में ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया हैं। तथा असल अप्रार्थी संख्या 1 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 से सांठ गांठ कर ली हैं, असल अप्रार्थी संख्या 1 को हम प्रार्थीगण ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 के चैम्बर में आते जाते व चैम्बर के बाहर बैठे देखा हैं, असल अप्रार्थी संख्या 1 ने विगत पेशी पर हम प्रार्थीगण से अदालत परिसर व गांव में ऐलानिया तौर पर ऐसा कहा हैं, कि उसकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 से बातचीत हो गयी हैं, मुकदमा का फैसला उसके पक्ष में होंगा, तथा विवादित आराजी पर रिसीवर कायम कराकर रहेगा। तथा असल अप्रार्थी संख्या 1 ने तहत

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 से जल्दी तारीख नियत करा ली हैं, तथा प्रार्थनापत्र रिसीवर स्वीकार कराकर रहेगा। हम प्रार्थीगण को पूरा भय व आशंका हैं, कि असल अप्रार्थी संख्या 1 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहा हैं। उक्त वर्णित सूरत में न्यायहित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना अतिआवश्यक हैं। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पावंद किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जिस हेतु नेकनियती से प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र मुन्तकिली मुकदमा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मुकदमा बअनुवान गोविन्द शरण वादी (बनाम) संतराम एवं अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद संख्या 1/143/25 अर्न्तगत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत तकसीम व हुक्म इम्तनाई दवामी विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान आगामी तारीख पेशी दिनांक 06-03-2026 को उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर राजस्थान से किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिली फरमाने की कृपा करें। दौरान विचारण मुकदमा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 2 से प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब कर उनको आगामी कार्यवाही स्थिगित रखने के लिए पाबंद किया जावें। खर्चा मुकदमा प्रार्थीगण को असल अप्रार्थीगण से दिलाया जावें।

विद्वान अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस के दौराने प्रार्थीगण के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार है। प्रार्थीगण मामले को लटकाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन "झूठे व गलत तथ्यों" के साथ दाखिल है, इसलिए खारिज किया जाना चाहिए। वर्तमान प्रार्थना पत्र सिर्फ मुकदमे को लंबा करने और अदालत पर दबाव बनाने का प्रयास है। अतः निवेदन किया है कि "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठे, बेबुनियाद, अस्पष्ट और भ्रामक तथ्यों पर आधारित है, इसे खारिज किया जाए।"

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पैरा सं. 01 स्वीकार है। पैरा सं. 11. व 12 प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें। पैरा सं. 2 ला0 9 अस्वीकार है जो गलत एवं झूठा है। पैरा सं. 13. यह कि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, झूठे, मनगढंत एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में बहुत कम अवधि की तारीख पेशियां दी जा रही हैं एवं पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी संख्या 1 गोविन्द शरण के साथ व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं तथा धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिसीवर नियुक्त करने के प्रार्थना-पत्र का जल्दबाजी में निस्तारण करना चाहते हैं। इसके विपरीत, अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इन सभी आरोपों का कड़ाई से खण्डन किया। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः झूठे, मनगढ़ंत और निराधार हैं। प्रार्थीगण का मुख्य उद्देश्य केवल मूल वाद और रिसीवर के प्रार्थना-पत्र की सुनवाई को लंबित रखना है। यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय पर दबाव बनाने और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का भली–भांति अवलोकन किया एवं उभय पक्षों के तर्कों तथा अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी पर मनन किया। किसी न्यायालय द्वारा प्रकरण विशेषकर रिसीवर या अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र, के शीघ्र निस्तारण हेतु छोटी तारीखें देना न्यायालय की कार्यकुशलता का हिस्सा है। इसे किसी भी दृष्टिकोण से पक्षपात नहीं माना जा सकता। कानून की मंशा भी यही है कि ऐसे अंतरिम प्रार्थना–पत्रों का त्वरित निस्तारण हो। प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी और अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य सांठ–गांठ या चैम्बर में मिलने के जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके समर्थन में कोई भी ठोस साक्ष्य या विश्वसनीय प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मौखिक आधार पर या सुनी–सुनाई बातों के आधार पर पीठासीन अधिकारी की निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता। अधिवक्ताओं को शीघ्र बहस के लिए निर्देशित करना न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। यद्यपि पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण के स्थानांतरण पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, परन्तु उन्होंने प्रार्थीगण के सभी आरोपों को सिरे से झूठा और मनगढ़ंत बताया है। यदि मात्र ऐसे झूठे और दबाव बनाने वाले आरोपों के आधार पर पत्रावली मुंतकिल कर दी जाती है, तो इससे न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र मुंतकिल केवल मूल वाद की कार्यवाही को विलंबित करने और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण को निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की कोई युक्तिसंगत आशंका सिद्ध नहीं होती है।

अतः समग्र परिस्थितियों और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र में कोई सार प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय की निष्पक्षता पर संदेह का कोई ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। ऐसे आवेदन का उद्देश्य मुकदमे की कार्यवाही में विलम्ब करना प्रतीत होता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल बिना पर्याप्त कारण, तथ्य व सबूत/साक्ष्य के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में बिना किसी दवाब या पूर्वाग्रह के, गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही जारी रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया–गया।

(डॉ. ओतिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान